

विविध बैंक प्रकरण संख्या 36/2022(GCMS : 2022/56) पंजाब नेशनल बैंक, जरिये निशांत खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, SASTRA केन्द्र प्रथम तल, मण्डल कार्यालय नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर **बनाम 1. शुभम कुमार पुत्र अशोक कुमार** निवासी मकान नं 22, गली नं. 01, शिव कॉलोनी, मीरा चौक, श्रीगंगानगर एवं फ्लैट नं 7, ग्राउंड फ्लोर, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर **2. अशोक कुमार** पुत्र प्यारे लाल **3. सरोज धींगडा** पत्नी अशोक कुमार निवासी मकान नं 22, गली नं. 01, शिव कॉलोनी, मीरा चौक, श्रीगंगानगर एवं फ्लैट नं 7, ग्राउंड फ्लोर, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर

**18.05.2022**



**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण शुभम कुमार, अशोक कुमार एवं सरोज धींगडा द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी शुभम कुमार एवं सरोज धींगडा द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति स्थित फ्लैट नं 7 (एलआईजी),(क्षेत्रफल 533.83 वर्गफीट) ग्राउंड फ्लोर, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

**मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया** एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 11.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

**जिला मजिस्ट्रेट**  
**श्री गंगानगर**



अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण शुभम कुमार, अशोक कुमार एवं सरोज धींगडा के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी शुभम कुमार एवं सरोज धींगडा द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति स्थित फ्लैट नं 7 (एलआईजी), (क्षेत्रफल 533.83 वर्गफीट) ग्राउंड फ्लोर, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में शामिल किया गया । इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर